

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 47/2017

| अपीलान्त   | बनाम | रेस्पोजेन्ट :-                              |
|--|------|---|
| बिहारीलाल पुत्र मूलसिंह जाति पुरोहित<br>निवासी ढारिया तहसील रानी |      | सरकार जरिये भूमिधारी उप तहसीलदार<br>खिंवाडा |

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट  
सरकारी पैरोकार, रेस्पोजेन्ट की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक:- 25.4.18

अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 126/2016 में उप तहसीलदार खिंवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 10/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2017 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उप तहसीलदार खिंवाडा ने अपीलाण्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम ढारिया के खसरा नम्बर 371 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 गोचर की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर बाड़ा व मकान निर्माण करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया तथा दिनांक 07.10.2016 को तारीख पेशी नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 21.10.2016 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट पर जुर्माना आरोपित किया तथा साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत किसी प्रकार की जांच नहीं की गई कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में परिलक्षित होता है अथवा नहीं? तथा न ही इस प्रकार के कोई साक्ष्य सबूत ही पत्रावली पर उपलब्ध थे। किसी प्रकार के साक्ष्य भी प्रदर्शित नहीं हुए। अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरुद्ध है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी उसे माना जाता है, जिसके विरुद्ध पूर्व में अतिक्रमण करने बाबत प्रकरण चला हो। अपीलाण्ट के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण नहीं चला था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है। खसरा नम्बर 371 की भूमि, जिसके भाग पर अपीलाण्ट का कब्जा बताया गया है, उस सम्पूर्ण भूमि में आबादी बस चुकी है, लोगों के पक्के मकानात स्थित है, जिनके पंचायत द्वारा आबादी में परिवर्तन कराने बाबत प्रस्ताव ले रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्रकरण में अपनाई गई प्रक्रिया की कोई समीक्षा नहीं की तथा अधीनस्थ न्यायालय का



राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

निर्णय बहाल रखा। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट अपने परिवार में कमाने वाला अकेला व्यक्ति है, जिसे निरुद्ध रखा जाता है, तो उसके परिवार की दुर्दशा हो जायेगी। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम ढारिया के खसरा नम्बर 371 रकबा 0.20 बीघा किस्म गै0मु0 गोचर की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये हैं। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम ढारिया के खसरा नम्बर 371 रकबा 0.20 बीघा किस्म गै0मु0 गोचर की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का ढारिया द्वारा उप तहसीलदार खिंवाड़ा के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि बिहारीलाल पुत्र मूलसिंह जाति पुरोहित द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर उप तहसीलदार खिंवाड़ा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 07.10.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट स्वयं से तामील करवाया गया है, जिसकी पालना में नियत तारीख पेशी को अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। इस प्रकार तामील को विधिवत तामील मानते हुए अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने के पश्चात जैर अपील आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया था, किन्तु अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार से जवाब अथवा दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किये। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अपीलाण्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 126/2016 में उप तहसीलदार खिंवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 10/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.4.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली